आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

10/11/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-61/2024-25

अमर गाड़ी .... आवेदक।

बनाम

गोपी साहु

1. बैजनाथ साहु

2. मणिनाथ साहु

3. शिवरतन साहु... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक अमर गाड़ी, पिता–स्व० बीजला गाड़ी, निवास स्थान–देवी मंडप के पास, अरगोड़ा, पाहन टोली, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षी गोपी साहु, पिता–स्व० रघुनाथ साहु, 1. बैजनाथ साहु, 2. मणिनाथ साहु, 3. शिवरतन साहु, तीनों के पिता–हरखनाथ साहु निवासी ग्राम–अरगोड़ा, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची ने छल प्रपंच कर जमीन को हड़प लिये हैं। इसी आधार पर विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
अरगोड़ा	207	130	1093	23 डिसमिल
			1094	19 डिसमिल

यह आवेदक की खतियानी जमीन है। खतियान में फागु उराँव, लेटया उराँव वो बीगुआ उराँव वो कोका उराँव वो एतवा उराँव मनबोधा उराँव वो डेम्बा उराँव वो भोले उराँव वो भादु उराँव वगैरह का नाम दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत डेम्बा उराँव के वंशज है। आवेदक अपने वंशावली के शपथ पत्र में कहते हैं कि खतियान में डेम्बा उराँव नाम दर्ज है। डेम्बा उराँव अपने पीछे शनि उराँव, मुनु उराँव (मृत) को छोड़ गये। शनि उराँव अपने पीछे बया उराँव, बीजला उराँव एवं भगत उराँव को छोड़ गये। बीजला उराँव अपने पीछे अमर गाड़ी (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक का कहना है कि विपक्षीगण गोपी साहु, पिता–स्व० रघुनाथ साहु, वगैरह सभी निवासी ग्राम–अरगोड़ा,

Mi 10/11/25

कृ०पृ०उल्टे

10/11/25 थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची के द्वारा छल–प्रपंच कर जमीन को हड़प लिए हैं तथा पक्का घर–मकान बना लिए हैं, इसलिए यह वाद पोषणीय है।

विपक्षीगण सं०–01, 02, 03 की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया, इसमें कहते हैं कि आवदेक अमर गाड़ी के द्वारा विपक्षीगण पर जो वाद लाया गया है, वह Maintainable नहीं है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के तहत् खाता सं०–130, आर० एस०–1093, कुल रकबा–42 डिसमिल का जो वाद लाया है वह चलने योग्य नहीं है तथा आवदेक नियमानुसार केस नहीं फाईल किये हैं। आर एस० खतियान 1935 ई० बना है। प्लॉट सं०–1093 में 23 डिसमिल में दखलकार माँगा उराँव थे। प्लॉट सं०–1094 पर डेम्बा उराँव का कब्जा था। जिसके खतियान के कंडिका–17 में बकब्जे बहिस्सा बराबर दर्ज है। आवेदक द्वारा जो वंशावली दाखिल किया गया हैं वो सही प्रतीत नहीं होता हैं तथा इस वाद में खतियानी रैयत के सभी पक्षों को आवेदक नहीं बनाया गया है। इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए। चूँकि यह वाद 30 वर्षो के बाद लाया गया है, इसलिए यह कालबाधित है। प्रश्नगत् भूमि 1947 ई० में ट्रस्टी महाराजा छोटानागपुर रातुगढ़ रातु के नियोग भोग ट्रस्ट को Surrender कर दिए थे, जिसे लगान पाने वाले ने स्वीकार किया तथा जिसे खतियानी रैयत ने Surrender किया। जिसे X-landlord ने हुकुमनामा के द्वारा रघुनाथ महतो, पिता–लुटा महतो को दिनांक–11.03.1948 ई० को दे दिये थे तथा जमींदारी लगान रसीद भी निर्गत किया था। विपक्षी गोपी साहु रघुनाथ महतो के उत्तराधिकारी है। रघुनाथ महतो की मृत्यु के बाद गोपी साहु वर्णित भूमि के मालिक हुए। 1956 ई0 में जमींदारी उन्मूलन खत्म होने तक विपक्षीगण जमींदार को लगान देते आ रहे हैं तथा दखल–कब्जा के साथ पक्का घर मकान बनाकर रह रहें है, जिसका मालिकाना हक विपक्षीगण का है। इसके पश्चात् विपक्षीगण अंचल में दाखिल–खारिज करवाकर राज्य सरकार को लगान दे रहें है, जो साबित करता है कि विपक्षीगण जमीन के मालिक हैं। अतः यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, तथा इसे खारिज किया जाए। रघुनाथ महतो उर्फ रघुनाथ साहु के जीवनकाल में आपसी बँटवारा हो गया, जिसमें गोपी साहु पिता–रघुनाथ साहु को 21 डिसमिल जमीन प्लॉट सं०–1093 एवं 1094 मिला तथा वर्णित जमीन में हरखनाथ साहु को भी 21 डिसमिल जमीन मिला। हरखनाथ साहु के

10/11/25

कृ०पृ०उल्टे

10/11/25

तीन पुत्र है। बैजनाथ साहु, मणिनाथ साहु और शिवरतन साहु, हरखनाथ साहु के उत्तराधिकारी हुए। हरखनाथ साहु की मृत्यु के बाद बैजनाथ साहु ,मणिनाथ साहु और शिवरतन साहु आपस में जमीन को बराबर हिस्सों में बाँट लिया तथा दखल–कब्जा के साथ रहते हुए अंचल में मालगुजारी रसीद देकर पक्का घर–मकान बनाकर 21 डिसमिल जमीन पर निवास कर रहे हैं। खाता सं०–130, प्लॉट सं0–1093 एवं 1094 को खतियानी रैयत ने लगान पाने वाले महाराजा रातु गढ़, नियोग भोग ट्रस्ट रातु को 1947 ई० में इस्तीफा दे चुके है, जिसे ट्रस्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हरख़नाथ साहु को आपसी बँटवारा के द्वारा 21 डिसमिल जमीन पिता से प्राप्त हुआ था। गोपी साहु और हरखनाथ साहु के मध्य बँटवारा हुआ, जिसमें बैजनाथ साहु को 07 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ है, इसमें से 04 डिसमिल जमीन प्लॉट सं0–1093 एवं 03 डिसमिल जमीन प्लॉट सं0–1094 में से प्राप्त हुआ। मणिनाथ साहु को भी 07 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ इसमें से 04 डिसमिल जमीन प्लॉट सं0–1093 एवं 03 डिसमिल जमीन प्लॉट सं0–1094 में से प्राप्त हुआ। जिसपर दोनों ने अपना–अपना हक व हिस्सा के साथ घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। 07 डिसमिल जमीन शिवरतन साहु को मिला जिस पर दखल–कब्जा के साथ घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। बैजनाथ साहु ने वर्ष 2010 में अपनी 07 डिसमिल जमीन पत्नी देवन्ती देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिये। जिसका पट्टा सं०–29172/ 24912 दिनांक–20.11.2010 है। इसके बाद देवन्ती देवी ने अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवा लिए। जिसका दाखिल खारिज वाद सं०–7786 आर० 27/2011–12 है तथा होल्डिंग टैक्स भी दे रही हैं। इसके बाद मणिनाथ साहु ने 07 डिसमिल जमीन अपनी पत्नी श्रीमती मीरा देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिए। जिसका पट्टा सं०–29174/24914, दिनांक–20.11.2010 मीरा देवी ने भी अपने नाम पर अंचल में दाखिल–खारिज करवा लिये, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं०–1875 आर० 27/2012–13 है तथा राँची नगर निगम, राँची में भी होल्डिंग टैक्स भी दे रही हैं। शिवरतन साहु ने भी वर्णित भूमि में 07 डिसमिल जमीन अपनी पत्नी पुष्पा देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिया। जिसका डीड सं०–29173/24913, दिनांक– 20.11.2010 है। पुष्पा देवी ने अपने नाम पर अंचल में दाखिल–खारिज करवा लिये, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं०–7780 आर० 27/2011–12 है तथा राँची नगर निगम, राँची में अपने नाम पर होल्डिंग टैक्स दे रही

10/11/25

कृ०पृ०उल्टे

10|11|25 हैं। देवन्ती देवी पुष्पा देवी एवं मीरा देवी ने अपनी जमीन को विकास के लिए एकरारनामा के माध्यम से M/S Global Developers को दे दिये। इन्होंने राँची नगर निगम, राँची में बहुमंजीला इमारत में फ्लैट निर्माण के लिए नक्शा डाले जिसका BC Case No.-37/1013/10 है। नगर निगम द्वारा दिनांक–06.07.2020 को नक्शा की स्वीकृति दी गयी तथा स्वीकृति मिलने के पश्चात् खाता सं०–130, प्लॉट सं०–1093 एवं 1094 रकबा–21 डिसमिल जमीन पर भवन निर्माण हो गया। आवेदक अमर गाड़ी इस वाद में Stranger की हैसियत से आये है। खतियानी रैयत में अपने आपको वंशावली में बताए हैं लेकिन ये फर्जी व्यक्ति बनकर आवेदक के रूप में लाये है। इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है, तथा यह वाद खारिज करने योग्य है।

विपक्षी गोपी साहु की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया, इसमें कहते हैं कि यह वाद खाता सं०–130, प्लॉट सं०–1093 एवं 1094 मौजा–अरगोड़ा, को रघुनाथ साहु, ने खरीदा है। जिसपर बिना जाँच–पड़ताल के ही आवेदक के द्वारा यह वाद लाया गया है। इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए। विपक्षी गोपी साहु के द्वारा वर्णित भूमि पर बहूमंजिला पक्का इमारत बनाकर निवास कर रहे हैं। आवेदक के आवेदन पत्र में सभी खतियानी रैयत का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए। गोपी साहु एवं अपने भाईयों के मध्य दिनांक–04.07.1976 ई० को सादा डीड में आपसी बँटवारा हो गया था। जिसमें पश्चिम की ओर विपक्षीगण के पिता–हरखनाथ साहु को भूमि मिला। जिसने अपने हिस्से की जमीन अंचल कार्यालय में दाखिल–खारिज करवा लिए। जिसका दाखिल–खारिज वाद सं०–899/88–89 है। प्रश्नगत् भूमि के 42 डिसमिल जमीन खतियानी रैयत ने Surrender महाराजा छोटानागपुर रातु के नियोग भोग ट्रस्ट, रातु, राँची को वर्ष–1947 ई० को दे दिया, जिसे ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। खाता सं०–130, प्लॉट सं0–1093 एवं 1094 को गोपी साहु के दादा के नाम पर बन्दोबस्त कर दिए तथा कबुलियत निबंधित पट्टा दिनांक–16.10.1947 ई० को रघुनाथ महतो उर्फ रघुनाथ साहु के पक्ष में महाराजा छोटानागपुर रातु के नियोग भोग ट्रस्ट, रातु, राँची के पक्ष में कर दिए। उसके बाद महाराजा छोटानागपुर रातु नियोग भोग ट्रस्ट, रातु, राँची ने एक सादा हुकुमनामा दिनांक–11.03.1948 ई० को लिख दिए साथ ही दखल–कब्जा भी दे दिए। साथ ही छोटानागपुर रातु के नियोग भोग ट्रस्ट, रातु, राँची के मैनेजर

10|11|25

कृ०पृ०उल्टे

10/11/25

सी०एन०राय के द्वारा मालगुजारी रसीद विपक्षीगण के दादा के पक्ष में देने लगे। जिस दिन से जमीन को बन्दोबस्त किया गया, उसी दिन से विपक्षीगण के कब्ज में जमीन आ गया तथा अंचल में दाखिल–खारिज करवा कर गोपी साहु ने दो तल्ला मकान बनाकर शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं। इनके द्वारा राँची नगर निगम, राँची से नक्शा भी पास करवाये। जिसका स्वीकृत नक्शा सं०–बी०पी०/ आर०एम०सी०/0392/2018 है। प्रश्नगत् भूमि के अलावा गोपी साहु ने खाता सं०–73, प्लॉट सं०–1092, 1097, 1096 में 30 डिसमिल जमीन भी लिए हैं तथा खाता सं०–148, के जमीन पर भी बाउण्ड्री करवाये है। गोपी साहु ने राँची नगर निगम, राँची में होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। अतः आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। गोपी साहु ने नियमतः जमीन को खरीदा है। वर्ष–1947 ई० से आजतक 76 वर्ष हो चुका है, आवेदक द्वारा 76 वर्ष बाद यह वाद लाया गया है, जो कालबाधित है एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं है। गोपी साहु ने G+2 पक्का मकान बनायें हैं। जिसपर लगभग 04 करोड़ रूपया खर्चा हुआ है साथ में चाहरदीवारी के अंदर बाग–बगीचा लगाये हैं। इन सभी चीजों को देखकर आवेदक ने विपक्षी को परेशान करने के नियत से यह वाद लाया है। आवेदक अमर गाड़ी द्वारा लाया गया यह वाद पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि वर्णित भूमि पहले ही Surrender कर दिया गया हैं। Surrender करने के बाद से आवेदक का कोई भी दखल–कब्जा वर्णित भूमि पर नहीं है। यह भूमि कृषि योग्य भी नहीं है, इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है, इसे खारिज किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया। इसमें कहते हैं कि यह वाद पोषणीय है। आवेदक ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत वर्णित जमीन पर भू–वापसी के लिए वाद दायर किये है। प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है। जिसे गैर–आदिवासी नहीं खरीद सकते है। प्रश्नगत् भूमि आर० एस० खतियान में एतवा उराँव वगै० के नाम से दर्ज है तथा मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ। आवेदक की भूमि को विपक्षीगण ने उपायुक्त के अनुमति के बिना जमीन को कब्जा कर लिए, जिसपर मेरे पिताजी खेती करते थे। कोविड के समय जब मेरी माँ और मैं खेतीबाड़ी करने के लिए गए तो देखे की विपक्षीगण ने 42 डिसमिल जमीन पर घर–मकान बना लिए। खेतीबाड़ी के लिए कुछ जमीन बचा

10/11/25

कृ०पृ०उल्टे

10/11/25

हुआ था, उसपर विपक्षीगण चाहरदिवारी बनाकर घेराबंदी कर लिए। इस वाद के संबंध में विपक्षीगण न्यायालय में कारणपृच्छा दाखिल किए है। कारणपृच्छा में कहते है कि यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा कालबाधित भी है। विपक्षीगण ने अपना अधिकार स्वामित्व हित एंव दखल प्राप्त कर लिया। खतियानी रैयत में भू–स्वामी नियोग–भोग ट्रस्ट के ट्रस्टी महाराजा छोटनागपुर रातुगढ़ राँची 1947 ई से ही जमीन वापस कर दिए थे। उसके बाद दिनांक–16.10.1947 ई० को रघुनाथ महतो उर्फ रघुनाथ साहु के द्वारा भूमि के विनियमन की राशि स्वीकार करते हुए कबुलियतनामा लिख दिया। उसके बाद दिनांक–11.03.1948 ई० को सादा हुकुमनामा के माध्यम से उपरोक्त भूमि को रघुनाथ महतो उर्फ रघुनाथ साहु के नाम बन्दोबस्त कर दिया। विपक्षी के कारणपृच्छा को देखने से पता चलता है कि यह वाद पोषणीय है, दाखिल–खारिज एवं लगान रसीद विधिसंगत नहीं है तथा यह वाद कालबाधित नही है। नियोग भोग ट्रस्ट के ट्रस्टी महाराजा छोटानागपुर रातुगढ़ को 1947 ई० में भूमि वापस कर दिए थे एवं दिनांक–16.10.1947 ई० को सादा हुकुमनामा रघुनाथ साहु को एवं भूमि के विनियमन राशि स्वीकार करते हुए कबुलियतनामा को निष्पादन बन्दोबस्त कर दिया गया है या नहीं यह प्रश्न उठता है। पंजीकरण अधिनियम 1908 ई० की धारा–17 (1) (B) के द्वारा भूमि समर्पित या बिक्री के लिए गैर निबंधित दस्तावेज के लिए 100 रूपया या उससे अधिक मुल्य की आकस्मिक संपत्ति है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा–54 के अनुसार बिक्री की राशि पूर्ण रूप से भुगतान या आंतरिक रूप से भुगतान या भुगतान करने का वादा की गई, तथा कीमत के बदले में स्वामित्व का हस्तांतरण है। इस संबंध में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट देवेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम् राजस्थान स्टेट के मामले AIR 2002 Raj 66 में रिपोर्ट की गई। Vidhya Sagar Versus State of Andharapradesh & others report in 2004 (11) SSC 186 के रिपोर्ट में वैध दस्तावेज के संबंध में बताया गया है। दाखिल खारिज एवं लगान रसीद संबंध में भी Jharkhand State Vs Arjun Das के मामले में 2004 (4) JCR 535 (JHR) का हवाला दिया है। इन सबको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह वाद पोषणीय है। आवेदक का कहना है कि 2007 तक मेरे पिता खेतीबाड़ी करते थे। इनकी मृत्यु के बाद भी भूमि परती थी। कोविड के समय ही विपक्षीगण द्वारा जमीन को कब्जा किए है, जो आवेदक के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए यह वाद कालबाधित नहीं है। अतः आवेदक के आवदेन को स्वीकार किया जाए।

10/11/25

कृ०पृ०उल्टे

10|11|25

विपक्षीगण गोपी साहु के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया, इसके कहते हैं कि आवेदक द्वारा जो वाद लाया गया है यह चलने योग्य नहीं है। झारखण्ड क्षेत्र अधिनियम 1969 ई0 छोटानागपुर टेन्नसी संशोधन अधिनियम 1969 के अधीन भू–वापसी के लिए फॉर्म के कण्डिका–05 में कहते है कि

(क) जमीन के अन्तरण की तिथि–नहीं मालूम,

(ख) क्या जमीन के अन्तरण निबंधित बिक्री पत्र (रजिस्टर्ड लीज, बन्धक, लीज, ठेका आदि द्वारा किया गया है?–नहीं मालूम।

(ग) क्या जमीन अन्तरण में उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी?– नहीं।

(घ) क्या जमीन का हस्तान्तरण छल, प्रपंच या अन्य नाजायज तरीके से किया गया है?– छल, प्रपंच एवं नाजायज तरीके से।

आवेदक के आवेदन के कण्डिका 06 में दर्शाया गया है, पक्का मकान बना हुआ है तथा कुछ खाली हिस्सा भी है। खतियान में एतवा उराँव वगै० का नाम दर्ज है। कण्डिका 02 में खतियानी रैयत के वंशज डेम्बा उराँव अपने पीछे शनि उराँव एवं मुन्नु उराँव को छोड़ गये। शनि उराँव अपने पीछे बया उराँव, बीजला उराँव एवं भगत उराँव को छोड़ गये। बीजला उराँव अपने पीछे अमर गाड़ी आवेदक को छोड़ गये। विपक्षी गोपी साहु का तकरारी जमीन पर दखल–कब्जा नहीं है बल्कि बैजनाथ साहु मणिनाथ साहु, शिवरतन साहु, सभी के पिता–हरखनाथ साहु का दखल–कब्जा है। विपक्षी गोपी साहु कहते हैं कि दि०प्र०स० के आदेश VII रूल 11 (डी) सह पठित धारा 151, के अन्तर्गत यह कहना है कि वाद कालबाधित है। 1947 ई० पूर्व में जमींदार महाराजा छोटानागपुर रातुगढ़ राँची के नियोग भोग ट्रस्ट के पक्ष में इस्तीफा दे चुके है। जिस पर दखल भी स्वीकार किये हैं। विपक्षी गोपी साहु के पिता एवं विपक्षी संख्या 01, 02 एवं 03 के दादा रघुनाथ के पक्ष में बन्दोबस्त किया गया। इसी में कबुलियतनामा निष्पादित किया गया था, जो जमींदार के पास था। हुकुमनामा के माध्यम से दिनांक–11.03.1948 को रघुनाथ साहु को जमींदार के द्वारा बन्दोबस्त कर दिया। जमींदार द्वारा लगान रसीद रघुनाथ साहु के पक्ष में देते रहे। इसके बाद जाँचोपरान्त रघुनाथ साहु का नाम पंजी–II में नाम दर्ज हुआ तथा अंचल से रसीद भी निर्गत होने लगा। गोपी साहु वगै० के बीच आपसी पारिवारिक पँचनामा बँटवारा

10|11|25

कृ०पृ०उल्टे

10|11|25 दिनांक—04.07.1976 ई० को हुआ। इसमें 21 डिसमिल जमीन गोपी साहु को प्राप्त हुआ, जिसपर घर—मकान बना हुआ है, जो 60—70 वर्ष पुराना है। इस पर राँची नगर निगम, राँची से नक्शा पास करवाये जिसका वाद संख्या—BP/W 37/0200/18G+2 स्वीकृत हुआ। जिसपर घर—मकान बनाने में लगभग 04 करोड़ रूपया खर्च किया, जिसमे गोपी साहु के परिवार रहते है, साथ ही वे होल्डिंग टैक्स दे रहे है। आवेदक ने तथ्यों को छुपाकर यह वाद लाया है, जबकि दाखिल किया गया हुकुमनामा वैध है। गोपी साहु ने अपने नाम पर दाखिल खारिज करवाये हैं, जिसका वाद सं०—899/1988—89 है, शुद्धि—पत्र भी निर्गत हुआ। आवेदक ने एतवा उराँव का वंशावली नहीं दाखिल किये हैं, जबकि डेम्बा उराँव का कुर्सीनामा दिखाया गया है। जिससे यह साबित नहीं होता कि एतवा उराँव खतियानी रैयत के वंशज है, इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है। यह बात सत्य नहीं है कि आवेदक के पिता का देहांत 2007 में हुआ और साथ ही आवेदक खेतीबाड़ी करते है। कोविड के समय माता अपनी माँ जमीन पर गए और बताते है कुछ जमीन पर मकान बना हुआ था एवं कुछ जमीन खाली थी ऐसी बात नहीं है। जमींदारी उन्मूलन समाप्त होने के पश्चात् सरकार ने रघुनाथ साहु के हुकुमनामा एवं जमींदारी रसीद को देखत हुए जमाबंदी कायम किए। वर्ष 1947 ई0 में जमीन हस्तांतरण के लिए उपायुक्त के अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 1958 ई० से रघुनाथ साहु के नाम से सरकारी रसीद निर्गत है तथा लगातार लगान का भुगतान अंचल में कर रहे हैं। यह वाद 76—77 वर्षो वाद अमर गाड़ी द्वारा लाया गया है जो कालबाधित है। भू—वापसी का यह आवेदन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71"A" के अंतर्गत समय सीमा 30 वर्ष तक ही है, अतः यह वाद कालबाधित एवं पोषणीय नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाए।

विपक्षीगण सं०—01, 02 एवं 03 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया, इसमें कहते हैं कि यह वाद पोषणीय नहीं है। यह वाद सिर्फ एक आवेदक अमर गाड़ी के द्वारा लाया गया है। इसमें अन्य लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह वाद मौजा—अरगोड़ा, थाना नं०—207, खाता सं०—130, प्लॉट सं०—1093 रकबा—23 डिसमिल प्लॉट सं०—1094 में रकबा—19 डिसमिल है कुल रकबा—42 डिसमिल पर वाद लाया गया है। खतियान के कॉलम नं०—17 में खतियानी रैयत फागो उराँव, लेटया उराँव, बिगुआ उराँव, डेम्बा उराँव, एतवा उराँव, भोथा उराँव,

10|11|25

कृ०पृ०उल्टे

10/11/25 माँगा उराँव एवं मनबोध उराँव वगैरह का नाम दर्ज है। प्लॉट सं०–1093 रकबा–23 डिसमिल जमीन पर माँगा उराँव के दखल–कब्जा में था जो कि आवेदक ने अपने वंशावली में माँगा उराँव का नाम दर्ज नहीं किए हैं। प्लॉट सं०–1094 में रकबा–19 डिसमिल जमीन पर डेम्बा उराँव एवं थाले उराँव का आधा–आधा हिस्सा था। जबकि अमर गाड़ी ने माँगा उराँव के जमीन पर यह वाद लाया है। आवेदक ने यह वाद 2023 में लाए हैं जबकि जमीन का हस्तांतरण 1947 ई० में नियोग भोग ट्रस्ट को Surrender कर दिए थे। यह वाद 77 वर्ष बाद लाया गया है। आवेदक को जानकारी का आभाव है कि कब से उपायुक्त से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। आवेदक इस केस में Stranger है। आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के माध्यम से जो वंशावली दर्शाया गया है, वह अस्पष्ट है, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए। आवेदक ने इस वाद में सभी को आवेदक के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है तथा तथ्य को छुपाकर यह वाद लाया है। वर्णित भूमि पर पक्का रिहायशी मकान बना हुआ है। आवेदक ने दिनांक–15.09.2025 को Rejoinder दाखिल किये हैं, जिसमें कहते है कि आवेदक की मृत्यु 2007 ई० में हुई है। खतियानी रैयत ने 1947 ई० में ही जमीन को Surrender कर दिए थे तथा दिनांक–16.10.1947 ई० को कबुलियतनामा का जिक्र दिनांक–11.03.1948 ई0 को रघुनाथ महतो उर्फ रघुनाथ साहु के पक्ष में सादा हुकुमनामा के द्वारा बन्दोबस्त कर दिए तथा जमींदारी रसीद भी निर्गत कर दिए थे। जमींदारी उन्मूलन समाप्त होने के बाद रघुनाथ महतो ने अंचल कार्यालय, राँची में अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवाकर लगान देने लगे। रघुनाथ महतो के मृत्यु के बाद विपक्षीगण इनके वारिस हुए। जिनका पूर्ण स्वामित्व अधिकार 42 डिसमिल जमीन पर हुआ है। विपक्षीगण ने 07 डिसमिल जमीन को बैजनाथ साहु ने अपनी पत्नी देवन्ती देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिया। शिवरतन साहु ने भी जमीन को अपनी पत्नी पुष्पा देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिया। मणिनाथ साहु ने भी जमीन को अपनी पत्नी मीरा देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिया। इनलोगों ने अपने–अपने नाम पर पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। पक्का मकान बनाने के समय भी आवेदक ने किसी भी तरह कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किए। यह वाद 77 वर्षो बाद लाया गया है, इसलिए यह वाद कालबाधित है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि

Ai- 10/11/25

कृ०पृ०उल्टे

10/11/25

1947 ई० में ही वर्णित भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया है तथा यह वाद कालबाधित एवं पोषणीय नहीं इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए।

अतः दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि यह वाद कालबाधित है एवं पोषणीय नहीं है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/11/25 — 10/11/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची। — विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.11.11 17:36:25 +05:30
Location: 10.94.73.39